श्रम विभाग

दिनांक 20 मई, 1993

संख्या 2/231/92-2 श्रम.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सिविल सेवायें (न्यायिक शाखा) के निम्नलिखित के अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिए गए औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिष्ठता अधिकारी नियुक्त करते हैं:

1.	श्री बी. आर. बोहरा, अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश	अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण, हिसार, श्री जे. डी. चान्दना के स्थान पर।
2.	श्री पी. एल. खन्डूजा, अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश	अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण, रोहतक, श्री बी. के. गुप्ता के स्थान पर।
3.	श्री पी. एल. आहुजा, अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश	अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण, अम्बाला, श्री के. के. डांडा के स्थान पर।
4	श्री एन. एल. प्रुथी, अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश	अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण, फरीदाबाद, श्री टी. सी. गुप्ता के स्थान पर।
5	श्री यू. बी. खण्डूजा, अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश	अधिष्ठता अधिकारी, फरीदाबाद में नये बनाये गए श्रम न्यायालय में।

किरण अग्रवाल,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम तथा रोजगार विभाग।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरस्कार

दिनांक 24 मई, 1993

क्रमांक 825-ज-2-93/9708.—श्री सुरजा राम, पुत्र श्री कन्हों राम, निवासी गांव खोरड़ा, तहसील चरखी दादरी, अब दादरी, जिला महेन्द्रगढ़ अब भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 420-र-(4)-67/1053, दिनांक 12 अप्रैल, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी

2. अब श्री सुरजा राम, की दिनांक 1 अक्तूबर, 1991 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सुरजा राम की विधवा श्रीमती लिछमा देवी के नाम खरीफ, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।